

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पर्यटन अनुभाग

लखनऊ:दिनांक:25 जुलाई, 1998

विषय:- प्रदेश में पर्यटकों को सुलभ व सस्ती आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु पेइंग गेस्ट योजना का संशोधन/संवर्धन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2187/41-94-41/86, दिनांक 8 अगस्त 1994 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय प्रदेश में पर्यटकों को सुलभ व सस्ती आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिकोण से उक्त शासनादेश द्वारा प्रख्यापित व भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप संचालित पेइंग गेस्ट योजना को निम्नानुसार संशोधित/संवर्धित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) इस योजना के अन्तर्गत भवन स्वामी पूर्व में प्राविधानित चार कमरों के स्थान पर पाँच कमरे (दस शैयाये) पर्यटकों को उपलब्ध करा सकेगें।

(2) भवन स्वामी स्वयं भवन में रहेगा तथा कम से कम दो कमरे अपने प्रयोग हेतु अपने स्वामित्व में रखेगा, जिन्हें वह पर्यटकों को किराये पर नहीं देगा।

(3) विदेशी पर्यटकों के आवास करने पर पंजिका में पासपोर्ट का विवरण रखा जायेगा तथा फार्म-सी में विवरण सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) नगरीय क्षेत्र के स्थानीय निकाय के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी अथवा जिला परिषद् के प्रतिनिधि स्वीकृति हेतु गठित समिति के सदस्य होंगें।

2- इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 8 अगस्त 1994 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,  
रवीन्द्र सिंह,  
सचिव।

संख्या-1246(1)/41-98-41/86, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि वे कृपया अपने अधीनस्थ समस्त सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(2) निदेशक पर्यटन(पर्वतीय) देहरादून को इस अभ्युक्ति के साथ कि वे कृपया अपने अधीनस्थ समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(3) समस्त मण्डलायुक्तों को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अपने स्तर से इस योजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,  
आनन्द प्रकाश उपाध्याय,  
उप सचिव।

प्रेषक,

श्री शशांक शेखर सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पर्यटन अनुभाग

लखनऊ:दिनांक: 8 अगस्त 1994

विषय:- प्रदेश के पर्यटन की दृष्टिकोण से चयनित 6 बल क्षेत्रों में पेइंग गेस्ट योजना लागू किया जाना।

महोदय,

प्रदेश में तेजी से पर्यटन के विकास हेतु निम्नलिखित बल-क्षेत्रों को चयनित किया गया है:-

- (1) बौद्ध परिपथ, जिसमें सारनाथ, कुशीनगर, पिपरहवा, श्रावस्ती, संकिसा एवं कौशाम्बी सम्मिलित है।
- (2) बुन्देलखण्ड परिपथ, जिसमें झाँसी मण्डल में स्थित पर्यटक स्थल जैसे झाँसी, देवगढ़, महोबा, चित्रकूट एवं कालिन्जर आदि सम्मिलित है।
- (3) आगरा परिपथ, जिसमें आगरा एवं मथुरा के आसपास के क्षेत्र सम्मिलित है।
- (4) लखनऊ परिपथ, जिसमें लखनऊ एवं आसपास के क्षेत्र सम्मिलित है।
- (5) साहसिक क्रीड़ा क्षेत्र एवं पितौरागढ़ तथा अन्य पर्वतीय पर्यटक क्षेत्र-रानीखेत, कोडियाला, औली, चम्बा इत्यादि।
- (6) पारम्परिक पर्वतीय यात्रा परिपथ, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एवं केदारनाथ सम्मिलित है।

शासन द्वारा उक्त चिन्हित बल क्षेत्रों में देशी/विदेशी पर्यटकों को आवश्यक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में उपलब्ध पब्लिक सेक्टर/प्राइवेट सेक्टर के होटलों/अन्य सुविधाओं में विस्तार/सुधार के साथ नयी पर्यटन उद्योग नीति के परिप्रेक्ष्य में व्यापक पैमाने पर निजी पूंजी निवेश, होटल उद्योग एवं मार्गीय सुविधाओं के निर्माण हेतु आमंत्रित किया जा रहा है। साथ ही और अधिक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में उक्त 6 बल क्षेत्रों में पेइंग गेस्ट योजना लागू किये जाने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे पर्यटकों को उचित दर पर अतिरिक्त आवासीय सुविधायें उपलब्ध हो सकें।

3- उक्त पेइंग गेस्ट योजना लागू किये जाने हेतु दिशा निर्देश संलग्न हैं। अनुरोध है कि कृपया अपने जनपद में स्थित पर्यटक स्थलों में आवासीय सुविधाओं की वृद्धि हेतु उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार तत्परता से कारवाई करते हुये इच्छुक व्यक्तियों के पास उपलब्ध सुविधाओं का निर्धारित प्रारूप पर पंजीयन करके सूचना निदेशक, पर्यटन, उ०प्र० को एक माह के भीतर उपलब्ध करा दें जिससे निदेशक, पर्यटन द्वारा इस योजनान्तर्गत उपलब्ध आवासीय सुविधाओं की एवं डायरेक्टरी प्रकाशित कराकर प्रदेश के समस्त पर्यटक बुकिंग सेन्टर तथा भारत सरकार के देश एवं विदेश स्तरीय पर्यटक सेन्टर पर उपलब्ध कराया जा सके। इससे न केवल पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि भवन स्वामियों को अतिरिक्त आय का स्रोत उपलब्ध होगा।

4- यह योजना एक अव्यवसायिक योजना मानी जायेगी।

5- कृपया योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में व्यक्तिगत ध्यान देने का कष्ट करें।

भवदीय,  
शशांक शेखर सिंह,  
प्रमुख सचिव।

संख्या-2187(1)/41-94-41/86 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :-

1- महानिदेशक, पर्यटन उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ समस्त क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करके इसका गहन अनुश्रवण करके दिग्दर्शनी के प्रकाशन हेतु वांछित विवरण निदेशक, पर्यटन को उपलब्ध करा दें ।

2- समस्त मण्डलायुक्तों को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने स्तर इस योजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।

3- निदेशक, पर्यटन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ समस्त क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करते हुये दिग्दर्शनी के प्रकाशन हेतु वांछित विवरण प्राप्त करके एक पेइंग गेस्ट आवासीय सुविधा दिग्दर्शनी प्रकाशित करायें ।

आज्ञा से,  
दुर्गा शंकर मिश्र,  
विशेष सचिव ।

## पेड़ंग गेस्ट योजना

प्रदेश में पर्यटन की बढ़ती हुई गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार के पर्यटन विभाग की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश के चिन्हित निम्न बल क्षेत्रों में पेड़ंग गेस्ट योजना लागू की जा रही है।

- (1) बौद्ध परिपथ, जिसमें सारनाथ, कुशीनगर, पिपरहवा, श्रावस्ती, संकिसा एवं कौशाम्बी सम्मिलित है।
- (2) बुन्देलखण्ड परिपथ, जिसमें झाँसी मण्डल में स्थित पर्यटक स्थल सम्मिलित है।
- (3) आगरा परिपथ, जिसमें आगरा तथा मथुरा के आसपास के क्षेत्र सम्मिलित है।
- (4) लखनऊ परिपथ, जिसमें लखनऊ एवं आसपास के क्षेत्र सम्मिलित है।
- (5) साहसिक क्रीड़ा क्षेत्र एवं पिथौरागढ़ तथा अन्य पर्वतीय पर्यटक क्षेत्र—रानीखेत, कोडियाला, औली, चम्बा इत्यादि।
- (6) पारम्परिक पर्वतीय यात्रा परिपथ, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एवं केदारनाथ सम्मिलित है।

### **उद्देश्य—**

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के चिन्हित बल क्षेत्रों में स्थित पर्यटक स्थलों में पर्यटकों के लिये आवश्यक आवासीय सुविधाओं में वृद्धि के साथ ही साथ ऐसे भवन स्वामियों, जिनके पास पर्यटकों को रूकवाने हेतु अतिरिक्त कमरे उपलब्ध हों, को अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध कराया जाना है। इससे स्वतः रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के लागू हो जाने से ऐसे मौजूदा पर्यटन स्थल, जहाँ पर फिलहाल किसी प्रकार की आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है, में भी देशी/विदेशी पर्यटकों को रूकने के लिये सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे अन्य प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे।

### **परिभाषा—**

पेड़ंग गेस्ट योजना का तात्पर्य है कि किसी निजी मकान मालिक द्वारा अपने धर का एक हिस्सा (कुछ कमरे) पर्यटकों को किराये पर उपलब्ध कराया जायेगा। मकान मालिक कमरे उपलब्ध कराये जाने के साथ ही पर्यटक को नाश्ता/भोजन की भी सुविधा उपलब्ध करा सकेगा एवं कमरे का किराया एवं भोजन आदि के लिये आवश्यक निर्धारित धनराशि पर्यटकों से प्राप्त कर सकेगा।

### **शर्तें—**

किसी भी निजी भवन स्वामी के भवन में पेड़ंग गेस्ट योजना लागू किये जाने की निम्न शर्तें होंगी :-

- (1) सम्बन्धित भवन पर उसका पूर्णरूपेण निजी स्वामित्व होना चाहिये।
- (2) भवन पर किसी भी प्रकार का झगड़ा/विवाद लम्बित नहीं होना चाहिये।
- (3) भवन ऐसी जगह/सड़क पर स्थित हो जहाँ पर यातायात द्वारा सुविधापूर्वक पहुँचा जा सकें
- (4) भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में न हो बल्कि उसका रख-रखाव उच्चस्तर का हो। भवन की परिभाषा में पुरानी हवेली आदि भी सम्मिलित है।
- (5) भवन के अन्दर एवं आसपास उत्तम स्तर की स्वच्छता हो तथा किसी प्रकार से प्रदूषण का खतरा न हो।
- (6) सिंगल आवासीय कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 100 वर्गफुट, एवं डबल आवासीय कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 120 वर्गफुट होना चाहिये।

- (7) निजी भवन में कम से कम 3 कमरों के मध्य एक लैट्रिन एवं बाथरूम अवश्य हो।
- (8) निजी भवन में पानी, बिजली प्लश लैट्रिन एवं अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिये।
- (9) किसी भी निजी भवन स्वामी को इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम 4 कमरे किराये हेतु व्यवस्थित करने की अनुमति होगी।

### आवेदन की प्रक्रिया –

इस योजना के अन्तर्गत निजी भवन स्वामी द्वारा परिशिष्ट 'क' पर संलग्न प्रारूप पर आवेदन क्षेत्रीय पर्यटक/पर्यटक अधिकारी को देना होगा। क्षेत्रीय पर्यटक/पर्यटक अधिकारी स्वयं पर्यटन स्थल के आस-पास सर्वेक्षण करके जहाँ कहीं ऐसी सुविधा उपलब्ध हो, निजी भूस्वामी को फार्म उपलब्ध कराकर उन्हें योजना के संबंध में जानकारी देते हुये उनका आवेदन प्राप्त कर लेंगे।

### पंजीयन फीस—

निजी भूस्वामी को आवेदन पत्र के साथ 50 रु० पंजीयन फीस के रूप में जमा करने होंगे जो हर तीन वर्ष पर क्षेत्रीय पर्यटक/पर्यटक अधिकारी द्वारा 50 रु० जमा कराकर नवीनीकृत किया जा सकेगा। यह धनराशि पर्यटन विभाग के प्राप्त मद लेखाशीर्षक-1452 पर्यटन-99-प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा की जायेगी।

### स्वीकृति—

भवन स्वामियों से आवेदन-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त इसका निरीक्षण संबंधित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/पर्यटक अधिकारी द्वारा परिशिष्ट 'ख' में किया जायेगा और वे अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा उक्त रिपोर्ट के आधार पर निम्न समिति द्वारा विचार करके आवेदन को दी गई शर्तों के अनुसार स्वीकार/अस्वीकार किया जायेगा।

- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1— | जिलाधिकारी   | अध्यक्ष      |
| 2— | क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/पर्यटक अधिकारी                      | संयोजक/सदस्य |
| 3— | नगरीय क्षेत्र के स्थानीय निकाय के अध्यक्ष<br>प्रभारी अधिकारी | सदस्य        |
| 4— | सचिव, सैनिक कल्याण परिषद्                                    | सदस्य        |

उक्त समिति द्वारा आवेदन स्वीकार करने के उपरान्त भवन के स्तर के आधार पर प्रतिदिन का किराया, भोजन आदि की दर अलग-अलग निर्धारित किया जायेगा। यह किराया स्थान विशेष पर प्रचलित दरों पर भवन स्वामी द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये निर्धारित किया जायेगा। एक ही प्रकार की सुविधा के लिये विभिन्न नगरों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार यह अलग-अलग हो सकता है।

## दिग्दर्शनी का प्रकाशन —

समस्त संबंधित से पेइंग गेस्ट योजनान्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर विवरण प्राप्त करने के उपरान्त निदेशक, पर्यटन द्वारा उपलब्ध आवासीय सुविधाओं की एक दिग्दर्शनी निम्न प्रारूप पर प्रकाशित की जायेगी :-

- 1— क्रम
- 2— रजिस्ट्रेशन नं०
- 3— नाम एवं पता
- 4— व्यवसाय
- 5— टेलीफोन नं०
- 6— बस स्टेशन/रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट से दूरी(मि०मी०)
- 7— क्या भोजन उपलब्ध होगा(शाकाहारी/मांसाहारी/दोनों)
- 8— बोली जाने वाली भाषा
- 9— अन्य सुविधायें (बी०सी०आर०/टी०वी०/अन्य चैनल/म्यूजिक)
- 10—आवासीय सुविधा का प्रकार(सिंगल रूम/डबल रूम/फैमली रूम/टायलेट के साथ बिना टायलेट ।
- 11—किराया दर
- 12— पर्यटक के बारे में विकल्प (वेज/नानवेज/इण्डियन/फारेनर)

## नवीनीकरण—

हर तीन वर्ष पर भवन स्वामी द्वारा 50 रू० शुल्क के साथ उक्त योजना के अन्तर्गत नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा । भवन का नवीनीकरण करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भवन का स्तर एवं रख-रखाव पूर्व में दी गयी शर्तों के अनुसार है ।

## पंजीयन रद्द किया जाना —

यदि किसी भी समय निरीक्षण से अथवा/अन्यथा यह संज्ञान में आता है कि भवन स्वामी द्वारा भवन का रख-रखाव उत्तम स्तर का नहीं है अथवा आगन्तुक पर्यटकों के साथ व्यवहार इस प्रकार का है जो पर्यटक को प्रोत्साहन देने के अनुकूल नहीं है, तो पंजीयन को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है ।

## भू-स्वामी का दायित्व—

- 1— यह समस्त सुसंगत नियम/अधिनियम का पालन सुनिश्चित करें ।
- 2— आवासीय सुविधा को इस स्तर का रखें जिससे पर्यटक सुविधापूर्वक रह सकें और उनमें सद्भाव बन सकें तथा और अधिक संख्या में पर्यटक ऐसी सुविधा पाने के लिये उत्सुक हों ।
- 3— निर्धारित प्रपत्र पर परिशिष्ट 'ग' में निर्धारित सूचना प्रत्येक त्रैमास क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी /पर्यटक अधिकारी को उपलब्ध करायेगें जो वह निदेशक,पर्यटन को संकलित करके उपलब्ध करायेगें ।  
पर्यटक के साथ सद्व्यवहार निजी भू-स्वामियों से अपेक्षित होगा ।

उत्तर प्रदेश पर्यटन  
पेइंग गेस्ट योजना के अन्तर्गत पंजीयन के लिये प्रार्थना-पत्र

क्रम संख्या.....

1- नाम :.....

2- पता :.....

3- टेलीफोन नं० :.....

यदि कोई हो

4- व्यवसाय :.....

5- परिवार के सदस्यों का विवरण :-

क्रम संख्या	नाम	उम्र	व्यवसाय जानने वाली भाषा
1			
2			
3			
4			

6- उपलब्ध आवासीय व्यवस्था :-

संख्या

दर

(शैया के किराये की दर में सूक्ष्म  
जलपान की दर सम्मिलित होगी।)

1- दो व्यक्तियों हेतु कमरा :-

अ- स्नान गृह/सुलभ प्रसाधन सहित

ब- स्नान गृह/सुलभ प्रसाधन रहित

2- एक व्यक्ति हेतु कमरा :-

अ- स्नान गृह/सुलभ प्रसाधन सहित

ब- स्नान गृह/सुलभ प्रसाधन रहित

3- डारमेटरी :-

4- सूट्स :-

7- पेइंग गेस्ट की आयु, वर्ग एवं राष्ट्रीयता से सम्बन्धित यदि  
कोई विशिष्ट वरीयता निर्धारित है

- 8— क्या शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन की सुविधा उपलब्ध है ? हां/नहीं
- 9— क्या पेइंग गेस्ट के लिये परिवहन की सुविधा उपलब्ध है ? हां/नहीं
- 10— मनोरंजन सुविधायें :-  
(जो लागू हों उस पर सही का निशान लगाएँ)
- 1— रंगीन टी0वी0/ब्लैक एण्ड हवाइट टी0वी0 हां/नहीं
- 2— वी0सी0आर0/वी0सी0डी0 हां/नहीं
- 3— म्यूजिक सिस्टम हां/नहीं
- 4— प्रत्येक कक्ष में दूरभाष की सुविधा हां/नहीं
- 5— पार्किंग स्थल हां/नहीं
- 6— गर्म एवं शीतल जल की व्यवस्था हां/नहीं
- 7— टेरेस एरिया (वर्ग फीट)
- 8— खेल सुविधायें (यदि हो तो विवरण दें)
- 11— कक्ष में परिचारिक की सुविधा हो ? हां/नहीं
- 12— क्या आगमन के संबंध में समय का कोई प्रतिबन्ध हो ?  
यदि हां तो विवरण दें ।
- 13— क्या पूर्व में आपके यहां कोई पेइंग गेस्ट था ?  
( यदि हां तो कितने अवधि के लिये ) हां/नहीं
- 14— क्या आपने विदेश भ्रमण किया है ?  
(यदि हां तो कौन-कौन से देश)
- 15— उन भाषाओं का विवरण जो आप पढ़, लिख एवं  
बोल सकते/सकती हैं :-
- 16— अन्य कोई जानकारी जो आप रजिस्ट्रेशन फार्म में  
दर्ज करवाना चाहते हैं ?

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

( नाम एवं पता)

नोट:- इस योजना के अन्तर्गत पंजीयन के पूर्व आपकी आवासीय इकाई का निरीक्षण  
एक समिति द्वारा किया जायेगा ।



निरीक्षण प्रपत्र  
(निरीक्षण अधिकारी/समिति द्वारा)

1- गृह स्वामी का नाम :

2- पूरा पता :-

3- टेलीफोन नम्बर :

(क) आवेदन फार्म की संख्या

(ख) प्रस्तुत करने की तिथि :-

निरीक्षण अधिकारी/पर्यटक अधिकारी की आख्या

1- आवेदन द्वारा प्रदत्त विभिन्न विवरणों की जाँच मेरे द्वारा की गयी तथा निम्नलिखित को छोड़कर सभी तथ्य सही पाये गये ।

1-

2-

3-

4-

5-

अन्य सूचना :-

2- उपरोक्त के आधार पर मैं आवेदक को पेइंग गेस्ट योजना के अन्तर्गत पंजीयन हेतु संस्तुति करता/नहीं करता हूँ।

स्थान:

दिनांक :

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर  
पदनाम ।

समिति की आख्या

निरीक्षण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या एवं अन्य सूचनाओं के आधार पर हम पेइंग गेस्ट योजना के अन्तर्गत आवेदक के पंजीयन का अनुमोदन करते/नहीं करते हैं।

( सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर )

परिशिष्ट "ग"

भवन स्वामी द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली त्रैमासिक गति रिपोर्ट का प्रपत्र

प्रगति रिपोर्ट का माह तथा वर्ष .....

1- भवन स्वाम का नाम.....

2- पता.....

3- व्यवसाय.....

4- टेलीफोन नम्बर (यदि कोई हो).....

5- उपलब्ध आवास:-

डबल बेड रूम	सिंगिल बेड रूम	डारमेट्री	सूट्स	अन्य
1	2	3	4	5

6- किराया जो माह में वसूल किया गया :-

डबल बेड रूम	सिंगिल बेड रूम	डारमेट्री	सूट्स	अन्य	वसूल किया गया कुल किराया (योग कालम 1 से 5 तक)
1	2	3	4	5	6

7- पर्यटक/आगन्तुकों के द्वारा की गयी शिकायत(यदि कोई हो)का विवरण.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर  
भवन स्वामी/प्रबन्धक/प्रभारी  
पता.....  
मुहर

उत्तर प्रदेश पर्यटन

( केवल कार्यालय प्रयोग के लिये )

क्रम संख्या:.....

पेइंग गेस्ट योजना के अन्तर्गत पंजीयन हेतु श्री/श्रीमती.....  
.....पता.....से एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त किया ।